P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-4* December- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

खाद्य सुरक्षा की रणनीतियाँ
Food Safety Strategies

मंजुलता कश्यप
सहायक प्राध्यापक,
अर्थशास्त्र विभाग,
ठाकुर छेदीलाल शासकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
जांजगीर, चाम्पा (छ.ग.) भारत

सारांश (Abstract)

खाद्य सुरक्षा से अर्थ निम्नलिखित कसौटियों के पूरे होने से है :–

1. प्रत्येक व्यक्ति के जीवित रहने तथा उसका शारीरिक विकास होने के लिए आवश्यक खाद्यान्न की निर्बाध उपलब्धता।
2. पर्याप्त आर्थिक संसाधन जिससे खाद्यान्न क्रय कर सके।
3. देश के सभी क्षेत्रो में खाद्यान्नों की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। खाद्यान्नों की कीमतों में कम से कम उच्चावचन से।

जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले दिनों में सकल वैश्विक खाद्यान्न उत्पादन में व्यापक कमी आ सकती है। सर्वाधिक संकट की स्थिति दक्षिण एशिया में है वहॉ 18–22 प्रतिशत की कमी होने की संभावना है वाल स्ट्रीट जर्नल और अमेरिका आधारित रिसर्च संगठन द्वारा ''इंडेक्स ऑफ इकानॉमिक फ्रीडम'' के अनुसार इसमें सम्मिलित 161 देशो में से दक्षिण एशियाई देशों की स्थिति अत्यधिक प्रतिकूल है। भारत इस सूची में 121वें स्थान पर है।

वैश्विक भूख सूचकांक में 20 से अधिक अंक प्राप्त कर भूखमरी के मामले में खतरनाक श्रेणी में सम्मिलित होने वाले देशों में सूडान, नेपाल, पाकिस्तान, कंबोडिया, भारत, जिम्बान्वे आदि प्रमुख है।

कृषि विशेषज्ञ एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार विकास एवं जनसंख्या वृद्धि के साथ खाद्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए हरित क्रांति के बाद भारत को अब एक ''सदाबहार क्रांति'' की आवश्यकता है। जो देश में आय एवं रोजार वृद्धि में सहायक हो। जिसके लिए हमें अपनी विकास नीति तथा कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में निर्देशात्मक परिवर्तन करने होगें। यह ''सदाबहार क्रांति'' कृषि व्यवस्था में ऐसे परिवर्तनों पर आधारित होनी चाहिए, जिससे कि बिना किसी पर्यावरणीय एवं सामाजिक क्षति के उत्पादकों को अधिक भूमि, जल एवं श्रम संसाधन उपलब्ध कराए जा सके। वित्त मंत्रालय द्वारा गठित के.पी. गीता कृष्णन कमेटी ने खाद्य सुरक्षा की दशा में सुधार के लिए खाद्य सब्सिडी घटाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक गरीबोन्मुखी बनाने पर जोर दिया है।

स्वामी विवेकानंद के अनुसार – ''जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता।''

Food security refers to the following criteria:

1. Uninterrupted availability of food grains necessary for the survival and physical development of every person.
2. Sufficient economic resources from which to purchase food grains.
3. There is an uninterrupted supply of food grains in all regions of the country. At least from the higher prices of foodgrains.

In the coming days, due to climate change, there may be a significant reduction in the gross global food production. The most crisis situation is in South Asia, which is likely to decrease by 18-22 percent, according to "Index of Economic Freedom" by Wall Street Journal and US based research organization. Is unfavorable. India is ranked 121 on this list.

Sudan, Nepal, Pakistan, Cambodia, India, Zimbabwe etc. are among the countries in the category of hunger in terms of hunger by achieving more than 20 marks in the Global Hunger Index.

Agricultural Specialist M.S. According to Swaminathan, given the growing need for food security with growth and population growth, India now needs an "evergreen revolution" after the Green Revolution. Which helps in increasing income and employment in the country. For which we have to make our development policy and instructional changes in the field of agricultural research. This "evergreen revolution" should be based on such changes in the agricultural system, so that more land, water and labor resources can be made available to producers without any environmental and social damage. KP constituted by Ministry of Finance The Geeta Krishnan Committee has emphasized on reducing food subsidy, private sector participation and making the public distribution system more poor oriented to improve the condition of food security.

According to Swami Vivekananda - "The person who is struggling to fill his stomach cannot be explained philosophically."

P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-7* ISSUE-4* December- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

मुख्य शब्द : खाद्य सुरक्षा, खाद्यान्न उत्पादन के समक्ष समस्याएँ, खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास, भावी रणनीति।

Keywords : Food Security, Problems Facing Food Production, Efforts Made For Food Security, Future Strategy.

प्रस्तावना

सामान्य अर्थो में किसी देश के लिए खाद्य सुरक्षा का अर्थ उसके निवासियों के लिए पर्याप्त खाद्य की आपूर्ति से है। खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार खाद्य सुरक्षा से अर्थ समग्र जनसंख्या को उपलब्ध भोजन भौतिक रूप से गुणवत्ता एवं मात्रा दोनों मे पर्याप्त होना चाहिए। साथ ही लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति होना जरूरी है।

सरकार ने प्रारंभ से ही गरीबी उन्मूलन के साथ–साथ अपनी खाद्य नीति में खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि के अतिरिक्त खाद्य पदार्थों की वितरण व्यवस्था पर भी पर्याप्त जोर दिया।

आने वाले 25 वर्षो में जनसंख्या में निरन्तर वृद्धि उत्पादन एवं उत्पादकता में असमान वृद्धि, कृषि क्षेत्र में पर्याप्त आधारभूत संरचनाओं की कमी, साधनों की अनुपलब्धता तथा बढ़ती लागतों को देखते हुए वर्ल्ड वाच इंस्टीट्यूट के विशेषज्ञ प्रो. लेस्टर ब्राउन यह आशंका प्रकट करते है कि आने वाले 20–30 वर्षो में जबकि भारत की खाद्यान्न माँग वर्ष 2030 में 260–264 मिलियन टन के बीच होगी। भारत अपने नागरिकों को पर्याप्त खाद्य सुरक्षा उपलब्ध नहीं करा पायेगा। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ नार्मन बोरलॉग का मानना है कि वर्ष 2025 तक अनुमानित खाद्य आपूर्ति को हम तब ही पा सकते है जबकि सभी खाद्यान्नों का उत्पादन वर्ष 1990 की अपेक्षा 80 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके।

पहले खाद्य सुरक्षा का अर्थ 'पेट भर रोटी' के संदर्भ में समझा जाता था। परन्तु आज खाद्य सुरक्षा से अर्थ भौतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थितियों की पहुंच के अतिरिक्त संतुलित आहार, स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ वातावरण एवं प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल से है।

खाद्य सुरक्षा का अर्थ है – सभी व्यक्तियों तक सभी समय पर्याप्त, सुरक्षित और पोषक आहार तथा भौतिक, सामाजिक और आर्थिक पहुंच सुनिश्चित हो। खाद्य सुरक्षा से अर्थ है सभी लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन बिताने के लिए कभी भी भोजन का अभाव न होने देना। हरित क्रांति के परिणामस्वरूप अनाज का उत्पादन बढ़ाकर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु समन्वित प्रयास किए गए थे परन्तु यह प्रयास कुछ राज्यों में और एक–दो प्रकार की फसलों तक ही सीमित था। परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने अन्न प्रबंधन को अपने हाथ मे लेकर खाद्यान्न पर सब्सिडी देना प्रारंभ किया। भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्न के संदर्भ में आत्म निर्भरता प्राप्त कर ली, परन्तु अभी भी 35 प्रतिशत जनसंख्या भोजन के संदर्भ में असुरक्षित है। कम आय और अनाज की ऊँची कीमत खाद्यान्न सुरक्षा के मार्ग में बाधक बने हुए है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली निर्धनों द्वारा उपभोग किए जाने वाले खाद्यान्न की पर्याप्त आपूर्ति नहीं कर पाती है।

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार – विश्व की कुल अल्पपोषित जनसंख्या के एक चौथाई अर्थात् 20 करोड़ लोग भारत में रहते है। यू.एन. हंगर टास्कफोर्स के अनुसार – विश्व के न्यून भार वाले कुल बच्चों का 41 प्रतिशत भाग भारत को ही अपना घर मानता है। भारत में 5 वर्ष से कम आयु वाले 47 प्रतिशत बच्चें कम वजन वाले है। 45 प्रतिशत की वृद्धि रूकी हुई है और 16 प्रतिशत कुपोषण के शिकार है।

व्यक्तिगत खाद्य सुरक्षा एक बुनियादी पात्रता है। इसे उपलब्ध कराये बगैर मानव विकास के अन्य पक्षों के मामलो में प्रगति करना भारत के लिए सरल नहीं होगा।

खाद्य सुरक्षा के 3 तत्व है – (1) खाद्य सुरक्षा उत्पादन और आयात पर निर्भर है। (2) खाद्य उपलब्धता व्यक्तियों की क्रय शक्ति पर आश्रित है। (3) खाद्य अवशोषण के अंतर्गत सुरक्षित पेयजल, पर्यावरण स्वास्थ्य विज्ञान, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा सम्मिलित है।

खाद्य सुरक्षा कानून भोजन के वैश्विक अधिकार की दिशा में प्रथम कदम है। ब्राजील विश्व में ऐसा पहला देश है जिसने भोजन के अधिकार को कानूनी स्वीकृति प्रदान की। भारत में भी जनवितरण प्रणाली के अनुभव हमें दिखाते है कि जहॉ–जहॉ मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति रही, वहॉ सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने अच्छा काम किया।

अध्ययन का उद्देश्य

1. खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति का अध्ययन।
2. खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों को जानना।
3. खाद्य सुरक्षा के लिए भावी रणनीति।

अध्ययन विधि

द्वितीयक समंको पर आधारित।

साहित्यावलोकन

सुरेश चंद्र बाबू[1] के अनुसार – खाद्य असुरक्षा की समस्या के समाधान के लिए कृषि पारिस्थितिकीय प्रयासों की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वार्ताओं में सौदेबाजी करने की भारत की क्षमता कृषि सामग्रियों को बाजार उपलब्ध कराने और गरीबों तथा खाद्य असुरक्षित लोगों की भलाई के लिए कृषि व्यापार के वैश्वीकरण के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अनिता मोदी[2] के अनुसार –देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि खाद्यान्नों के उत्पादन व वितरण की प्रभावी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए। ए.के. अरूण[3] के अनुसार –मुद्रा के लिए खेती के प्रयोग से, कैश क्राप्स के नाम पर अखाद्य कृषि के बढ़ते चलन से भी खाद्य संकट बढ़ रहा है। प्रो.के.एम. मोदी[4] के अनुसार – देश में खाद्य संकट के लिए जलवायु परिवर्तन भी जिम्मेदार है। आई.पी.सी. की रिपोर्ट के अनुसार तापमान वृद्धि के कारण वर्षा चक्र में अनियमितता आ गई है जिससे भारत में अनाज का उत्पादन घटने की संभावना है, जनसंख्या वृद्धि के कारण खाद्य संकट और अधिक बढ़ गया है। डॉ. श्याम सुन्दर सिंह चौहान[5] के अनुसार भोजन पाने का अधिकार प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। डॉ.

गजेन्द्र कुमार रावत[6] के अनुसार – तेजी से बढ़ती जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियॉ है जिनसें युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। गौरव कुमार[7] के अनुसार –कृषि क्षेत्र के समग्र विकास में हम अपनी उत्पादकता बढ़ा सकते है। जिसका लाभ खाद्य सुरक्षा के रूप में मिलेगा। खाद्य सुरक्षा के लिए हमारे पास संसाधन एवं योजनाएं हे, जरूरत इस बात की है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग बेहतर प्रबंधन के साथ करें।

भारत में खाद्यान्न उत्पादन के समक्ष समस्याऍं

देश में बहुत से कृषक कर्ज के बोझ तले दबे हुए है। किसानों को कृषि सब्सिडी से संबंधित वस्तुऍं उचित मूल्य व समय पर नहीं मिल पाती है। खाद्य प्रसंस्करण के तकनीकी ज्ञान और दक्षता की कमी है। भारत दुनिया में फलो–सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है लेकिन हम मात्र 2 प्रतिशत प्रसंस्करण कर पाते है। दुनिया के प्रसंस्करण खाद्य बाजार में हमारी हिस्सेदारी मात्र 1–1.5 प्रतिशत है। वैश्विक तापमान वृद्धि से फसलोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। मृदा के अनुचित और अत्यधिक दोहन के कारण मुख्य गौण और सूक्ष्म पोषक तत्वों का स्तर दिनों–दिन गिरता जा रहा है। दोषपूर्ण सिंचाई प्रणाली व बढ़ते कृषि रसायनो के प्रयोग से भूमि के उपजाउपन एवं फसल उत्पादों की गुणवत्ता में कमी आ रही है। औद्योगीकरण व शहरीकरण के कारण कृषि योग्य भूमि का आकार कम होता जा रहा है।

भारत के राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अनुमान के अनुसार वर्ष 2050 तक खाद्यान्न के उत्पादन में 18 प्रतिशत की कमी आ सकती है।

बढ़ते खाद्य संकट के लिए खाद्य मूल्यों में हुई बेतहाशा वृद्धि भी मुख्य कारण है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2007–08 के अनुसार वर्ष 1990 से 2007 तक खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि दर 1–2 प्रतिशत रही है जबकि जनसंख्या की औसत वृद्धि दर 1.9 प्रतिशत रही है। अनाजों की खपत वर्ष 1990–91 में जहां प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 468 ग्राम थी वह वर्ष 2005–06 में घटकर 412 ग्राम प्रति व्यक्ति रह गई। खाद्य फसलों के उत्पादन में जहॉ 2 प्रतिशत की वृद्धि हुई है वहीं अखाद्य फसलों का उत्पादन 4 प्रतिशत तक गया है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मॅहगें कीमत वाले फसलों की मॉग बढ़ी है जबकि भोजन के लिए जरूरी फसलों का उत्पादन घटा है।

खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता के दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति खाद्य वस्तुओं की उपलब्धता 2000 में 173.5 कि.ग्रा. थी जो 2015 में 160.5 कि.ग्रा. हो गई। मानसून अनुकूल होने के कारण 2015 तथा 2016 में क्रमशः यह बढ़कर 165.5 किग्रा तथा 170 किग्रा हो गई।

आर्थिक सर्वेक्षण 2011–12 के अनुसार 2005–06 में खाद्य वस्तुओं की कीमतों में 5.38 प्रतिशत, 2008–09 में 9 प्रतिशत, 2010–11 में 16.75 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई।

इस स्थिर या घटते हुए उत्पादन के प्रमुख कारणों में न्यूनतम निवेश, खाद का असंतुलित प्रयोग, कृषि भूमि के क्षेत्रफल में कमी, कृषकों का पलायन आदि है।

खाद्य सुरक्षा के लिए किए गए प्रयास

भारत सरकार खाद्य सुरक्षा के प्रति हमेशा प्रयासरत रही है। खाद्यान्न एवं इससे संबंधित क्षेत्रो में विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को शुरू किया गया जिससे कृषक और कृषि दोनो पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए कार्यक्रम निम्नलिखित है –

देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु खाद्यान्न की भौतिक उपलब्धि बढ़ाना आवश्यक है। अधिक अन्न उपजाओं आंदोलन, भूमि सुधार कार्यक्रम, हरित क्रांति, न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति, फसल बीमा योजना आदि के माध्यम से कृषि उत्पादन में वृद्धि की दिशा में प्रभावी प्रयास किए गए। वर्ष 2007 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की स्थापना की गई। जिसका मूलभूत उद्देश्य गेहूँ, चॉवल व दलहन की उत्पादकता में वृद्धि करना है। जिससे देश में खाद्य सुरक्षा की स्थिति प्राप्त की जा सके। 2008–09 में राष्ट्रीय किसान विकास योजना प्रारंभ की गई। खाद्यान्न सुरक्षा को दृष्टि में रखते हुए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् ने खाद्य सुरक्षा विधेयक प्रस्ताव 2010 पेश किया है। इसके अंतर्गत देश के एक चौथाई जिलो में प्रत्येक परिवार को 3 रूपये प्रति किलो की दर पर 35 किलो प्रतिमाह अनाज प्रदान किया जायेगा। राष्ट्रीय कृषक नीति 2007 के अंतर्गत पूरे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली प्रभावी रूप में क्रियान्वित होगी, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान किए जाएगें। राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बनाए रखने के लिए वर्षारोपित क्षेत्रो की समस्या पर ध्यान देना है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों के जीवन में समृद्धि लाने के लिए 2001 में वृहद कृषि प्रबंधन योजना लागू की गई।

देश में खाद्यान्नों तक गरीब वर्गो की पहुंच को सुनिश्चित करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली का सूत्रपात किया गया। इस प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं को उंची कीमतों से सुरक्षा प्रदान करते हुए न्यूनतम आवश्यक उपभोग स्तर की व्यवस्था को संचालित किया गया। वर्ष 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सरकार गरीब वर्ग को खाद्य सुरक्षा कवच प्रदान करने हेतु बी.पी.एल. कार्ड जारी करके कम कीमत पर आवश्यक वस्तुऍं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रयासरत है। 2000 में अत्योदय अन्न योजना प्रारंभ किया गया। इसके अंतर्गत एक करोड़ निर्धन परिवारों को प्रतिमाह 25 किग्रा अनाज विशेष रियायती दरों पर प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। अप्रैल 2000 में प्रारंभ की गई अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत सरकार निर्धन व बेसहारा वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिमाह 10 किलो ग्राम अनाज निशुल्क प्रदान कर रही है। देश की आम जनता को मूलभूत वस्तुएं उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से जुलाई 2000 में सर्वप्रिय नामक राष्ट्रीय योजना का सूत्रपात किया गया। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता महासंघ इसका संचालन करता है। वर्ष 2001 में ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न

बैंकों की स्थापना का प्रावधान किया गया। जिससे प्राकृतिक प्रकोप के दौरान गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न प्रदान किया जाए। श्रमिक वर्ग को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए वर्ष 2004 में काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ किया गया। जिसे वर्तमान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में समन्वित किया जा चुका है। विश्व में भारत पहला ऐसा देश है कि जिसने रोजगार को कानूनी अधिकार की मान्यता प्रदान करके एक मिसाल कायम की है।

खाद्य अवशोषण के संदर्भ में खाद्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकार ने वर्ष 1993 में राष्ट्रीय पोषण नीति प्रारंभ की। इसके अंतर्गत स्कूल पूर्व बच्चों में कुपोषण, विटामिन ए की कमी को नियंत्रित करके अंधत्व पर रोक लगाना तथा वृद्धों व गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण व्यवस्था के प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण तथ्यों को समावेशित किया गया। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा वित्तीय व्यवस्था का प्रावधान करने के दृष्टि से जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, एकीकृत बाल विकास सेवा, किशोरी शक्ति योजना आदि का योगदान महत्वपूर्ण है। मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूलों में पोषाहार प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। यह विश्व की सबसे बड़ी योजना है।

भारत में खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

''ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2016'' के अनुसार 118 देशो में भारत का स्थान 97वॉ है। भारत इस सूचकांक पर अपने पड़ोसी देशों – बांग्लादेश, नेपाल और चीन से भी पीछे है।

द स्टेट ऑफ फूड इंसिक्युरिटी इन द वर्ल्ड 2015 के अनुसार भारत में अब भी करोड़ो लोग कुपोषण के शिकार है। कुल जनसंख्या में कुपोषण के शिकार लोगों का प्रतिशत चीन व अन्य विकासशील देशो की अपेक्षा भारत में काफी अधिक है। एफ.ए.ओ. की रिपोर्ट के अनुसार – 2014–16 में भारत में 15 प्रतिशत लोग कुपोषण के शिकार है, जबकि चीन में 9 प्रतिशत, विकासशील देशो में 12 प्रतिशत, वैश्विक स्तर पर 10.9 प्रतिशत है। 1990–92 में चीन और भारत में यह प्रतिशत लगभग बराबर 24 प्रतिशत था।

(स्रोत –कुरूक्षेत्र, फरवरी 2017, पृ.क्र. 12)

प्रभाव

कुपोषित बच्चों में बचपन की बीमारियों से जान गॅवाने का खतरा सामान्य बच्चों की तुलना में आठ गुना अधिक होता है। खाद्यान्न संकट से कुपोषित बच्चों की संख्या में वृद्धि हो रही है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली माताओं के शरीर में लवणों व पोषक तत्वों की कमी भी भयावह स्थिति को प्रदर्शित करते है।

आधुनिक खाद्य प्रणाली जहॉ एक ओर सब लोगों का पेट नहीं भर पा रही है, वहीं दूसरी ओर वह जिनका पेट भर रही है उन्हे बीमार बना रही है। जेनेटिक फल सब्जियों से होने वाले रोग बेहद घातक है।

भावी रणनीतियाँ

दीर्घ कालीन खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आय में वृद्धि और भोजन को आसानी से खरीद पाने योग्य बनाना होगा। समाज में कमजोर वर्गो के लिए खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु बहुकोणीय रणनीति तैयार करनी होगी। सभी सामाजिक सुरक्षा कार्यो को एक कर, कमजोर और वंचित क्षेत्रों और समूहों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को पारदर्शी बनाना होगा, उनको बेहतर ढंग से चलाना होगा और उनमें जो क्षरण हो रहा है उसे रोकना होगा जिससे गरीब से गरीब व्यक्ति को भी उसका लाभ मिल सके। भूमिहीन निर्धनों और ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रो की वंचित जनसंख्या को इन कार्यक्रमों से लाभ पहुंचने की संभावना है। इसी के साथ–साथ निवेश और प्रोत्साहन बढ़ाकर कृषि की स्थिति में सुधार लाए जाने की भी जरूरत है। जिससे पाम्परिक और उच्च मूल्य वाली जिन्सों का उत्पादन बढ़ सके। अपनी आय में वृद्धि के लिए छोटे कृषकों को अपनी फसलों और उत्पादन में विविधता लानी होगी।

खाद्य सुरक्षा का मूलमंत्र कृषि में ही सन्निहित है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कृषि विकास, कृषिगत उत्पादकता में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में गतिहीनता की स्थिति को दूर करने के लिए संचालित विविध योजनाओं व नीतियों का प्रभावी, सफल व ईमानदारी पूर्वक, क्रियान्वयन सुनिश्चित करना आवश्यक है। जैविक कृषि, शुष्क कृषि, जल संरक्षण, कृषि शोध व विस्तार को अधिक प्राथमिकता प्रदान करके कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में सार्थक प्रयास अपेक्षित है। फसल बीमा को अधिक व्यापक व तर्कसंगत बनाना आवश्यक है।

गरीबों तब खाद्यान्नों की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उनकी क्रयशक्ति में सुधार जरूरी है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु गरीबी उन्मूलन व बेरोजगारी निवारण योजनाओं का ईमानदारी पूर्वक क्रियान्वयन अपेक्षित है। भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं की सार्थकता पर प्रश्नचिन्ह लग जाता है। अतः भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में ठोस व कठोर कार्यवाही कर के ही सबको खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।

देश के प्रत्येक नागरिक को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु सर्वप्रथम आवश्यक है कि खाद्यान्नों के उत्पादन व वितरण की प्रभावी व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए।

पारम्परिक व प्राकृतिक आहार को प्राथमिकता दे। भोजन या खाद्य उत्पादन पर्यावरण अनुकूल हो। जैविक कृषि को प्रोत्साहन दे।

सैम पित्रोदा द्वारा गठित संस्था 'इंडिया फूड नेटवर्क' द्वारा खाद्य अपव्यय को रोकने के लिए ''एस.एम. एस. अलर्ट'' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्राप्त सूचनाओं की मदद से समारोह स्थलों से बचे–कुचे भोजन को एकत्र करके जरूरतमंद लोगों में बॉट दिया जाता है।

जरूरत इस बात की है कि कृषि विज्ञान व तकनीक पर अधिक निवेश किया जाए जिससे लागत के लिए प्रभावी तकनीक की खोज हो सके। ऐसी खोजें

किसानों को मौसम की भविष्यवाणी के साथ–साथ फसल पद्धति की भी जानकारी देगा।

वैश्वीकरण के इस युग में कृषि को उद्योग का दर्जा देते हुए इसे व्यवसायिक बनाने की दिशा में सक्रिय प्रयास किए जाए। गॉवों में ही विभिन्न फलों व सब्जियों की प्रोसेसिंग इकाईयों की श्रृंखला स्थपित करके किसानों की आय में वृद्धि की जाए।

गरीबी उन्मूलन व बेरोजगारी निवारण योजनाओं का प्रभावी व सफल क्रियान्वयन आवश्यक है।

खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देना होगा।

लंदन से प्रकाशित 'द इकानॉमिस्ट'' के अनुसार विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र संघ को खाद्य समस्या पर नयी दृष्टि के साथ आगे आना चाहिए। चूकिं यह समस्या बहुआयामी है इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी पहल होनी चाहिए।

किसानों को बीज, उर्वरक, मृदा संरक्षण, डीजल और बिजली बाजार भाव से सस्ती दर पर उपलब्ध कराकर सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जाना चाहिए। किसानों को उनकी फसलों का उचित मूल्य मिलना चाहिए। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी चॉवल, गेहूँ, दलहन व तिलहन की उत्पादकता वृद्धि के लिए प्रभावशाली उपाय करने होगे। खाद्य प्रसंस्करण पर जोर देना होगा। फसल उत्पादन से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए ''किसान काल सेन्टर'' की सुविधा सभी राज्यों में होनी चाहिए। सिंचित और असिंचित दोनों क्षेत्रो के किसानो को फसल बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। किसानों को सघन फसल प्रणाली के अन्तर्गत भूमि का नियमित रूप से परीक्षण कराते रहना चाहिए। औद्योगिक इकाईयां लगाने के लिए बेकार व परती पड़ी भूमि का उपयोग किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

यदि भविष्य में हमें खाद्य सुरक्षा से संबधित सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित करना है तो हमें एक दीर्घकालीन नीति को अमल में लाना होगा तथा खाद्यान्नों के देशी उत्पादन को सभी प्रकार से प्रोत्साहन देने के साथ–साथ खाद्यान्न संभरण और वितरण प्रणाली को रोजगार और गरीबी से जोड़ना होगा, तब ही हम खाद्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक सुरक्षित भविष्य तथा भूखमुक्त भारत की कल्पना कर सकते है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी बनाकर खाद्य सुरक्षा अधिक सुदढ़ की जा सकती है।

आज भारत खाद्य उत्पादन में तो स्वावलम्बी हो गया है, पर कुपोषण की समस्या को हल नहीं कर पाया। कुपोषण से निपटने के लिए पोषक एवं पारम्परिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देना होगा जिनमें स्वास्थ्यवर्धक पोषक तत्व उपस्थित हो। साथ ही कृषि के समक्ष खड़ी गंभीर चुनौतियों – जनसंख्या वृद्धि, संसाधनों का ह्रास, मृदा अपरदन आदि समस्याओं का भी हल खोजना होगा। इसके लिए कृषि वैज्ञानिकों, प्रशासनिक अधिकारियों, नीतिधारकों को साथ मिलकर कदम बढ़ाना होगा जिससे भारत अपने नागरिकों को कुपोषण मुक्त सुरक्षित खाद्य उपलब्ध करा सके एवं स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर हो सके।

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार –''उच्च कोटि के मानव समाजों का निर्माण मुनाफाखोरो द्वारा कभी नहीं होता। वे करोड़पति जिन्होंने बड़ी मात्रा में माल–असबाब का उत्पादन किया, उन्होने अब तक एक भी मानव सभ्यता का निर्माण नहीं किया है। इसलिए अब समय आ गया है कि भूख के भय से मुक्ति का उपाय देशज कृषि व्यवस्था में खोजा जाए।''

संदर्भ ग्रंथ सूची

योजना

जुलाई 2008

1. *भूख से मुक्ति और ग्रामीण ज्ञान क्रांति – एम.एस. स्वामीनाथन, पृ.क्र. 7*
2. *खाद्यान्न संकट की तपन से झुलसती दुनिया – रहीस सिंह, पृ.क्र. 17*
3. *खाद्य असुरक्षा की छाया – वी.एम. राव, पृ.क्र. 21*
4. *नैनो आएगी, हर थाली भर जाएगी – कुलदीप शर्मा, पृ.क्र. 23*
5. *जहॉ चाह वहॉ राह – मानव विकास हेतु खाद्यान्न, पृ.क्र. 27*
6. *क्या आप जानते है – सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पृ. क्र. 31*

अक्टूबर 2010

1. *सबके लिए सतत् खाद्य सुरक्षा – एम.एस. स्वमीनाथन, पृ.क्र. 5*
2. *दुनिया को चाहिए खाद्य सुरक्षा – रहीस सिंह, पृ.क्र. 9*
3. *भूख का पसरता बाजार – नीलू अरूण, पृ.क्र. 13*
4. *गरीबी उन्मूलन और खाद्य सुरक्षा – नवीन पंत, पृ.क्र. 15*
5. *सार्वजनिक विवरण व्यवस्था – संदीप दास, पृ.क्र. 17*
6. *अनाज खरीद और मूल्यांकन नीतियॉ – मदन सबनवीस, पृ.क्र. 19*
7. *खाद्य सुरक्षा – सामाजिक विकास की पहल – ओ. पी.शर्मा, पृ.क्र. 23*
8. *भूख की भयावह होती आग – अर्चना श्रीवास्तव, पृ. क्र. 30*
9. *समकालीन दौर में खाद्य सुरक्षा – सुधीश कुमार पटेल, पृ.क्र. 33*
10. *भारत में खाद्य सुरक्षा – चुनौतियॉ एवं संभावनाएं – विनोद शुक्ला, पृ.क्र. 36*

दिसम्बर 2013

1. *खाद्य सुरक्षा कानून – क्या भूख और कुपोषण का खात्मा कर पाएगा? – किरीट एस.पारिख, पृ.क्र. 7*
2. *राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून पर कुछ विचार – अशोक कोतवाल, मिलिंद मुरूगकर, भारत रामास्वामी, पृ.क्र. 11*
3. *खाद्य सुरक्षा – अधिकार एवं चुनौतियॉ – राजेश रपरिया, पृ.क्र. 15*
4. *खाद्य सुरक्षा अधिनियम का क्रियान्वयन – मधुरा स्वामीनाथन, पृ.क्र. 19*

5. रोकना ही होगा खाद्य अपव्यय को – प्रांजल घर, पृ.क्र. 31
6. भारत में खाद्य सुरक्षा – एक समग्र आर्थिक अवलोकन – संतोष वर्मा, पृ.क्र. 47
7. खाद्य सुरक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास – अनिल शर्मा, पृ.क्र. 51
8. भूखे बचपन के लिए खाद्य सुरक्षा – कौशलेन्द्र प्रपन्न, पृ. क्र. 55
9. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून – लोक राजनीति का परिणाम – सचिन कुमार जैन, पृ.क्र. 59
10. भारत में खाद्य सुरक्षा –अतीत और वर्तमान – अजय कुमार गुप्ता, पृ.क्र. 61
11. खाद्यान्न उपलब्धता एवं भावी संकट – तुलसीराम दहायत, पृ.क्र. 63

अगस्त 2015 –

1. भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की राजनीतिक अर्थव्यवस्था– सी.एस.सी. शेखर, पृ.क्र. 46

कुरूक्षेत्र –

फरवरी 2004

खाद्य सुरक्षा वर्तमान परिदृश्य एवं भविष्य की चुनौतियाँ – योगेश बंधु आर्य, पृ.क्र. 7

सितम्बर 2009

1. विश्व में खाद्यान्न संकट की चुनौतियॉ – डॉ. जगबीर कौशिक, पृ.क्र. 3
2. खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियॉ – संजीव कुमार मलिक, पृ.क्र. 13
3. भारत में खाद्य सुरक्षा – एक अवलोकन – डॉ. राजेश कुमार सिंह, पृ.क्र. 18
4. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन – किसानों की आशा की नई किरण – संगीता यादव, पृ.क्र.21
5. मृदा सुरक्षा से ही खाद्य सुरक्षा – डॉ. रमेश कुमार सिंह, पृ.क्र. 24
6. बाढ़ आपदा के समय खाद्यान्न सुरक्षा – जितेन्द्र द्विवेदी, पृ.क्र.28

मार्च 2011

1. खाद्य सुरक्षा कानून से घटेगी गरीबी –साधना यादव, पृ.क्र. 3
2. जैविक खेती – खाद्य सुरक्षा की सुनिश्चितता – जितेन्द्र द्विवेदी, पृ.क्र. 8
3. खाद्य सुरक्षा की सुदृढ़ स्थिति – एक चुनौती – बृजेश कुमार, पृ.क्र. 12
4. टिकाऊ खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता एवं रणनीति – डॉ. सरजू नारायण, पृ.क्र. 15
5. खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम – डॉ. सुरेन्द्र कटारिया, पृ.क्र. 26

मार्च 2012

1. खाद्य सुरक्षा बिल से खत्म होगा कुपोषण – साधना यादव, पृ.क्र. 3
2. अनाज का एक–एक दाना महत्वपूर्ण – चन्द्रभान, पृ.क्र. 8
3. खाद्य सुरक्षा–चुनौतियॉ और समाधान – प्रो.के.एम. मोदी, पृ.क्र. 13
4. भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक खाद्य सुरक्षा – डॉ. नवीन कोचरे व मणिकांत झारिया, पृ.क्र. 23
5. खाद्यान्न सुरक्षा के लिए जैविक खेती जरूरी – यशवंत सिंह रावत, पृ.क्र. 29

नवम्बर 2013

1. देश के हर नागरिक को भोजन का अधिकार – देवेन्द्र उपाध्याय, पृ.क्र. 4
2. अब नहीं रहेगा कोई भूखा – डॉ. केशव टेकाम एवं तुलसीराम दहायत, पृ.क्र. 7
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक – एक परिदृश्य – आशीष कुमार, पृ.क्र. 11
4. खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण उपभोक्ता – विकास चन्द्र, पृ.क्र. 19
5. खाद्य सुरक्षा के समक्ष चुनौतियॉ एवं निदान –डॉ. विरेन्द्र कुमार, पृ.क्र. 23
6. खाद्य सुरक्षा संरक्षण के प्रयास – डॉ. गजेन्द्र कुमार रावत, पृ.क्र. 28
7. खाद्यान्न सुरक्षा पर जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट – डॉ. के.एन. तिवारी एवं डॉ. राकेश तिवारी, पृ.क्र. 31
8. टिकाऊ खाद्य सुरक्षा हेतु जैविक खेती की आवश्यकता – डॉ. दशरथ सिंह एवं डॉ. सरजू नारायण, पृ.क्र. 37

फरवरी 2017

1. भारत में खाद्य सुरक्षा – दशा, दिशा और भावी परिदृश्य – डॉ. जगदीप सक्सेना, पृ. क्र. 5
2. खाद्य सुरक्षा कानून का अवलोकन – हरिकिशन शर्मा, पृ. क्र. 10
3. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा का क्रियान्वयन – उपलब्धियॉ और चुनौतियॉ – देवाशीष उपाध्याय, पृ.क्र. 15
4. खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर – गिरिजेश सिंह महरा, प्रतिभा जोशी, पृ.क्र. 20
5. डिजिटलीकरण से सुनिश्चित होगी सभी के लिए खाद्य सुरक्षा – बालेन्द्र शर्मा दाधीच, पृ.क्र. 28
6. कृषि व्यापार नीति में बदलाव से ही खाद्य सुरक्षा को मिलेगी मजबूती – हरवीर सिंह, पृ.क्र. 32
7. कैसे बढ़ेगा खाद्यान्न उत्पादन –कुछ सुझाव – जगपाल सिंह मलिक, पृ.क्र. 34
8. सतत् कृषि से होगी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित – सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, पृ.क्र. 39
9. जलवायु परिवर्तन का खाद्यान्न सुरक्षा पर प्रभाव – डॉ. के. एन. तिवारी, डॉ. राकेश तिवारी, पृ.क्र. 41
10. खाद्य सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के उद्गार, पृ.क्र. 50

अंत टिप्पणी

1. सुरेश चन्द्र बाबू – खाद्य सुरक्षा में भारत की भूमिका, योजना, जुलाई 2008, पृ. क्र. 13
2. अनिता मोदी – खाद्य सुरक्षा – एक ज्वलंत समस्या, योजना, अक्टूबर 2010, पृ. क्र. 27
3. ए.के. अरूण – खाद्य सुरक्षा – पोषण और जनस्वास्थ्य, योजना, दिसम्बर 2013, पृ. क्र. 21
4. प्रो. के.एम. मोदी – खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम, कुरूक्षेत्र, सितम्बर 2019, पृ. क्र. 8
5. डॉ. श्याम सुन्दर सिह चौहान – खाद्य सुरक्षा की दिशा में सार्थक प्रयास, कुरूक्षेत्र, मार्च 2011, पृ. क्र. 30
6. डॉ. गजेन्द्र कुमार रावत – खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास, कुरूक्षेत्र, मार्च 2012, पृ. क्र. 18
7. गौरव कुमार – भारत में खाद्य सुरक्षा, कुरूक्षेत्र नवम्बर 2013, पृ. क्र. 14